


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936

No. 649]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 871(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, (समूह ख) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में,—

(क) सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने,—

(i) स्तंभ संख्या (2) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के लिए “75*(2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)” प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।

(ii) स्तंभ संख्या (4) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर ‘वेतनबैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।

(iii) स्तंभ संख्या 7 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर “20 और 27 वर्ष के बीच” प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।

(iv) स्तंभ संख्या 13 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर “समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे—

“1. कार्मिक प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग —अध्यक्ष

2. एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद से नीचे न हो। —सदस्य

3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न किसी मंत्रालय/विभाग से उप-सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा। —सदस्य”

प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।

(ख) वैयक्तिक सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने,—

(i) स्तंभ संख्या 4 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतनबैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4600 रु.” प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।

(ii) स्तंभ संख्या 13 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर “समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे —

- | | |
|--|----------|
| “1. कार्मिक प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | —अध्यक्ष |
| 2. एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद से नीचे न हो। | —सदस्य |
| 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न किसी मंत्रालय/विभाग से उप-सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा। | —सदस्य” |

प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।

[फा. सं. 1(2)/2014—कार्मि. III]

राजकुमार गौयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 32(अ), तारीख 14 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्न अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :

- (1) सा.का.नि. 75(अ) तारीख 12 फरवरी, 2010;
- (2) सा.का.नि. 644 (अ) तारीख 30 जुलाई, 2010;
- (3) सा.का.नि. 32(अ) तारीख 18 जनवरी, 2011

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

G.S.R. 871(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2009, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group ‘B’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2009,—

(A) against serial number 11 relating to the post of Assistant,—

- (i) under column 2, for the existing entries, the entries “75* (2014) *(Subject to variation dependent on workload).” shall be substituted;
- (ii) under column 4, for the existing entries, the entries “Pay band 2 in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/-” shall be substituted;

(iii) under column 7, for the existing entries, the entries “between 20 and 27 years” shall be substituted;

(iv) under column 13, for the existing entries, the entries “Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of the following:

- | | |
|--|-----------|
| “1. Head of Personnel,
Department of Electronics and Information Technology. | —Chairman |
| 2. One Officer not less than the rank of Joint Director,
Department of Electronics and Information Technology. | —Member |
| 3. One Officer not less than the rank of Deputy Secretary
to the Government of India from a Ministry/Department
other than the Department of Electronics and Information Technology. | —Member” |

shall be substituted.

(B) against serial number 12 relating to the post of Personal Assistant,—

(i) under column 4, for the existing entries, the entries “Pay band 2 in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/-” shall be substituted;

(ii) under column 13, for the existing entries, the entries “Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of the following:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Head of Personnel,
Department of Electronics and Information Technology. | —Chairman |
| 2. One Officer not less than the rank of Joint Director,
Department of Electronics and Information Technology. | —Member |
| 3. One Officer not less than the rank of Deputy Secretary
to the Government of India from a Ministry/Department
other than the Department of Electronics and Information Technology. | —Member” |

shall be substituted.

[F. No. 1 (2)/2014-Pers.III]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. No. 32(E), dated the 14th January, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) G.S.R. 75(E), dated the 12th February, 2010;
- (ii) G.S.R. 644(E), dated the 30th July, 2010;
- (iii) G.S.R. 32(E), dated the 18th January, 2011.